

०५.०१.१८

कमील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई उपस्थित  
नहीं है। अपी-को बार-बार आवर्जें दिलाई गई।  
अपी-की ऑरस कोई उपस्थित नहीं। कामा/अतः  
अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम पैरवी  
में खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार  
होकर बाद तकमील जायता दाखिल दफतर हो।

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर